



# RPSC

सहायक आचार्य

ABST

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

पेपर - 1 || भाग - 2

# **RPSC Assistant Professor Paper – 1 (Commerce)**

S.No.	Chapters	Pg.No.
<b>Corporate Accounting</b>		
1.	अंशों का निर्गमन हरण वापसी खरीद (Issue of share Forfeiture and buy-back )	1
2.	मूल्यहास - सततता की अवधारणा	31
3.	किश्त-भुगतान लेखा	36
4.	ख्याति का मूल्यांकन	41
5.	Human Resource Accounting	66
6.	कम्पनी पुनःसंरचना लेखांकन – एकीकरण	67
7.	लेखांकन मानक (Accounting Standard)	101
8.	कॉरपोरेट सामाजिक लेखांकन (Corporate Social Accounting)	118
9.	वकीलों/अधिवक्ताओं का लेखांकन (Accounts of Solicitors)	119
10.	कृषि फार्मों का लेखांकन (Accounting for Agricultural Farms)	120
11.	फॉरेंसिक लेखांकन (Forensic Accounting)	123
12.	सरकारी लेखांकन (Government Accounting)	125
13.	अस्पतालों का लेखांकन (Hospitals Accounting)	127
14.	MFIs (Microfinance Institutions) के लिए Basic Financial and Accounting System	129

# 1

## CHAPTER

# Corporate Accounting

### Issue of share Forfeiture and buy-back (अंशों का निर्गमन हरण वापसी खरीद)

- व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु एकाकी स्वामित्व, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी समिति व कम्पनी आदि प्रारूप प्रचलित हैं।
- समिति, दायित्व, पृथक कानूनी अस्तित्व आदि विशेषताओं के कारण कम्पनी प्रारूप व्यवसाय का सबसे लोकप्रिय प्रारूप बनता जा रहा है।
- 2013 धारा (43)

### Types of Companies

- Private (निजी कम्पनी)
- Public (सार्वजनिक कम्पनी)
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में निजी कम्पनी के रूप में पंजीकरण किया जाता है, जिसकी चुकता पूँजी कम से कम एक लाख रुपये हो तथा, जो अपने अंतर्नियमों में निम्न प्रावधान करे:
  - ✓ अंशों के हस्तांतरण की मनाही
  - ✓ सदस्यों की अधिकतम संख्या 50-200 तक सीमित रखना
  - ✓ अंश पूँजी या ऋण पूँजी में निवेश के लिए सार्वजनिक रूप से निमंत्रण नहीं देगी।
  - ✓ जमा के रूप में सार्वजनिक रूप से पैसा मांगने या स्वीकार करने की मनाही है इस पाबंदी में कम्पनी सदस्य के निदेशक या उसके रिश्तेदार द्वारा की गई जमाओं को शामिल नहीं किया जाता।
  - ✓ यदि कोई निजी कम्पनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे सार्वजनिक कम्पनी माना जायेगा तथा निजी कम्पनी के रूप में प्राप्त सभी छूटों से हाथ धोना पड़ेगा।
  - ✓ कम्पनी Act 2013 के तहत कम्पनी दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है:
- Preference share
- Equity share

### अधिमान अंश (Preference Share)

- इनमें से अंशों को शामिल किया जाता है, जो निम्न दो शर्तों को पूरी करते हैं:
- इनको Equity share से पहले निश्चित राशि या निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।
- कम्पनी समापन की दशा में पूँजी प्राप्त करने का अधिकार है।
- इनके अतिरिक्त कम्पनी अपने अंतर्नियमों के द्वारा उन्हें निम्न अधिकार और प्रदान कर सकती है:
- कम्पनी समापन के समय बकाया लाभांश और समता अंशधारियों को पूँजी लौटाने के बाद शेष पूँजी से बंटवारे का अधिकार।

### Types of Preference Share

- संचयी अधिमान अंश (Cumulative)
- असंचयी अधिमान अंश (Non-Cumulative)
- अवशिष्टगामी अधिमान अंश (Participating Preference Share): ऐसे अधिमान अंश जिनको अधिमान अंशधारियों के रूप में लाभांश प्राप्ति के बाद शेष भाग (समता अंशधारियों का भुगतान के बाद) बचे लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है।

- अनअवशिष्टगामी पूर्वाधिकार अंश:
- अधिमान अंश: अशोधनिय अधिमान अंश: कम्पनी संशोधन अधिनियम - 2013 के बाद इस प्रकार के अंशों का निर्गमन बन्द हो गया। अधिकतम 20 वर्षों तक शोधनीय अंश जारी किये जा सकते हैं।
- परिवर्तनीय अधिमान अंश
- अपरिवर्तनीय अधिमान अंश
- सचंची परिवर्तनशील अधिमान अंश:
  - ✓ सन् 1985 में भारत सरकार द्वारा कम्पनियों को सचंची परिवर्तनशील अंश जारी करने का अधिकार दिया।
  - ✓ यह अंश 100 अंकित मूल्य के होंगे।
  - ✓ इन पर प्रतिवर्ष 10% लाभांश दिया जायेगा।
  - ✓ कम्पनी इन अंशों को 3-5 वर्षों में समता अंशों में बदल देगी। यह अंश केवल सार्वजनिक कम्पनी ही जारी कर सकती है।
- इक्विटी अंश: [Equity preference] जो अंश अधिमान नहीं हैं - धारा 85(2)
- अधिकृत पूँजी / अंकित पूँजी/रजिस्टर्ड पूँजी यह पूँजी अधिकतम राशि है, जिससे अधिक राशि का कंपनी निर्गमन नहीं कर सकती है। इसका उल्लेख कम्पनी के पार्षद सीमा नियम के पूँजी वाक्य में किया गया है जैसे 100 रु. के 100000 अंश।
- निर्गमित पूँजी: कम्पनी की अधिकृत पूँजी में से जितने अंशों का निर्गमन कर दिया गया है, उनके अंकित मूल्य की राशि को निर्गमित पूँजी कहा जाता है।
- अभिदत्त पूँजी / प्रदत्त पूँजी: कम्पनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों में से जितने अंशों का चिट्ठे की तिथि तक आबंटन किया जाता है, उसे अभिदत्त पूँजी कहा जाता है।
- कम्पनी द्वारा अंशधारियों से जितनी राशि माँग ली जाती है, वह माँगी गयी पूँजी (*Called-up Capital*) कहलाती है।
- अगर अंशधारियों द्वारा माँगी गई सम्पूर्ण राशि चुका दी जाती है,
- जो माँगी गई राशि अंशधारियों द्वारा नहीं चुकाई जाती है, वह बकाया माँग या कहलाती है।

### **संचित पूँजी (Reserved Capital):**


- न माँगी गई पूँजी का वह भाग, जिसे कम्पनी एक प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित कर दे कि यह केवल समापन के समय ही माँगा जाएगा, संचित पूँजी कहलाती है।
- इस पूँजी पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता।

### **अनुसूची - III**

- **भाग - I – Format of balance sheet of company**
- **भाग – II- format of statement of profit and loss of a company**
- **Presentation of share capital in balance sheet**
- New format 26 March 2014 के जारी अनुसूची III के अनुसार
- **Ex.**

Balance sheet of \_\_\_\_\_ Limited as the current year ended 2019-20

<b>Particulars</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>Equity and Liabilities</b>		
Shareholders' Funds		
Authorised Capital		
..... Equity share of ₹...		
..... Preference share of ₹...		
<b>Issued Capital</b>		
..... Equity share of ₹.... each ₹...		
Called up		
..... Preference share of ₹.... each ₹...		
Called up		
<b>Less – Called unpaid</b>		
<b>Forfeiture</b>		
<b>Add – Share forfeiture</b>		



### अधिकार अंश (Right Share)

- यदि एक कम्पनी अपनी स्थापना के दो वर्ष पश्चात् अथवा प्रथम निर्गमन के एक वर्ष पश्चात् दोनों में से जो भी पहले हो पूँजी बढ़ाने के उद्देश्य से नए अंशों का निर्गमन करती है, तो नए अंश सर्वप्रथम पुराने समता अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाएंगे। उनको इनका क्रम का अधिकार है। धारा-62 यही अधिकार अंश होते हैं।

### Sweat Equity Share

- स्वेट इक्विटी अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है, जो कम्पनी द्वारा अपने संचालकों अथवा कर्मचारियों को भत्ते पर अथवा नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले जारी किए जाते हैं।
- यह कम्पनी की स्थापना के एक वर्ष बाद ही जारी किए जा सकते हैं।
- एक सार्वजनिक कंपनी को अपने प्रस्ताव का 50% छोटे विनियोजकों के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- SEBI के अनुसार, जिन विनियोजकों ने ₹2000 तक की राशि हेतु आवेदन किया है, वह छोटा विनियोजक होगा।

### **अंश निर्गमन प्रक्रिया:**

- सर्वप्रथम कंपनी अंशों की संख्या का विवरण सहित जनता में प्रविकरण जारी किया जाता है।
- 30 दिनों तक प्रविकरण खुला रहता है। इसमें न्यूनतम अभिदान [जारी अंशों का 90%] प्राप्त होने पर, अभिदान के अनुसार अंश आंबटन कि क्रिया प्रारंभ की जाती है।
- अंशों के आवेदन पर प्राप्त राशि उसके अंकित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए।
- अधिनियम के अनुसार आंबटन के 3 महीनों के भीतर अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- अगर किसी भी कारण से अंशों का आंबटन नहीं किया जाता है, तो आवेदक को खेद-पत्र के साथ प्रविवरण समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर राशि वापस लौटानी होगी, वरना 15% वार्षिक ब्याज

### **अंशों पर माँग (Calls on Share):**

- आवेदन तथा बंटन के अतिरिक्त शेष रकम को कंपनी किश्तों में वसूल करती है, ऐसी प्रत्येक किश्त को माँग कहा जाता है।
- कम्पनी के अन्तर्नियमों में माँग राशि व प्रक्रिया से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। कम्पनी अधिनियम में दी गई तालिका A भी इस संबंध में कुछ प्रावधान करती है, जो निम्न है:-
  - ✓ प्रत्येक माँग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  - ✓ दो माँगों को न्यूनतम 1 माह का अंतर होना चाहिए और माँग की संपूर्ण सूचना 14 दिन पहले प्रदान करनी चाहिए।

### **प्रारम्भिक व्यय**

- ऐसे खर्चें जो कम्पनी के निर्माण के संबंध में किए जाते हैं प्रारंभिक खर्च कहलाते हैं, जो निम्न है:-
  1. कम्पनी के पंजीकरण हेतु वैधानिक प्रलेख तैयार कराने का व्यय।
  2. कम्पनी के प्रथम अंशों व ऋणपत्रों के अभिगोपन पर किया गया व्यय।
  3. अन्य सभी व्यय जो कम्पनी की स्थापना से पूर्व किए जाएँ।

### **लेखांकन व्यवहार**

- प्रारंभिक व्यय पूँजीगत होते हैं, जिन्हें प्रतिभूति प्रीमियम अलग अन्य पूँजीगत लाभों में से अथवा आयगत लाभ से चार्ज करके धीरे-धीरे अपलिखित किया जाता है।
- न अपलिखित पूँजीगत व्ययों को चिट्ठे के सम्पत्ति पत्र में (Miscellaneous Exp.) शीर्ष में दिखाया जाता है।
- **26 मार्च 2014 अनुसूची III** के अनुसार जारी नवीन Balance Sheet प्रारूप के (Miscellaneous Exp.) शीर्षक हटा दिया जाता है।
- अब न अपलिखित पूँजीगत व्ययों को Reserve and Surplus शीर्षक में कलात्मक रूप में में दिखाया जाता है।
- वर्तमान में अधिकांश कम्पनियाँ अपने अंशों का निर्गमन मुख्यतः Book Building के माध्यम से तय करती हैं तथा आवेदन पर द्वि- संपूर्ण राशि माँग लेती हैं।

### **Journal Entry**

- **On app.**

Bank A/c Dr.

To Share Application A/c

Amount received for the purchase of .....e.

- **On Allotment Share Application A/c Dr.**

To Share Capital A/c

[Allotted share application money transferred to share capital A/c]

### ➤ **On Allotment Amount Due**

Share Allotment A/c Dr.

To Share Capital A/c

[AllotmentAmountDueAllotment Amount Due]

### ➤ **Bank A/c Dr.**

To Share Allotment A/c

[Allotment amount received]

### ➤ **Share First / Second Call A/c Dr.**

To Share Capital A/c

[Share call amount due]

### ➤ **Bank A/c Dr.**

To Share First / Second Call A/c

[Share call money received]

### **Calls in Arrears**

- सारणी अ के अनुसार कम्पनी बकाया माँग पर 10% की दर से ब्याज वसूल कर सकती है।
- Calls in Arrears को चिट्ठे में Called-up Capital में से घटाकर में दिखाया जाता है।
- इसकी प्रविष्टि पृथक कर सकते हैं:

#### **Calls in Arrears A/c Dr.**

**To Share Allotment A/c**

**To Share Calls (First / Second) A/c**

- Calls in Arrears या प्रविष्टि नहीं करेंगे तो भी Share Allotment या Share Cap A/c का जो भी Debit + शेष होगा वह बकाया Calls ही होगा।

### **Issue of Securities at Premium**

- **निर्गमन मूल्य - अंकित मूल्य = प्रिमियम** 100 रु. के अंश को @.10 रु. में जारी करना —
- यह एक पूँजीगत प्राप्ति है। इसका उपयोग धारा 2013-52(2) के अनुसार निम्न कार्यों हेतु किया जाता है:
  - ✓ अधिमान अंश के शोधन पर चुकाये गये प्रीमियम को अपलिखित करने पर
  - ✓ सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन करने में
  - ✓ प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में
  - ✓ अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन संबंधी खर्चा, उन पर दिया गया बद्य या कमीशन को अपलिखित
  - ✓ अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर दिए गए प्रीमियम के लिए प्रावधान
  - ✓ प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए उपयोगी

### **अंशों का बट्टे पर निर्गमन (Issue of Share at Discount)**

- जब निर्गमन मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो अंतर की राशि बट्टा कहलाती है।
- बट्टे पर अंशों का निर्गमन करने के लिए धारा-79 में निम्न शर्तें दी गई हैं:

- ✓ अंश ऐसी श्रेणी के होने चाहिए जिनका पहले निर्गमन किया जा चुका है।
  - ✓ इसके लिये कम्पनी की साधारण सभा में प्रस्ताव तथा कम्पनी लॉ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।
  - ✓ बट्टे की दर सामान्य परिस्थिति में 10% से ज्यादा नहीं होगी।
  - ✓ बट्टे पर निर्गमन तभी किया जा सकता है जब कम्पनी को व्यवसाय प्रारंभ किए एक वर्ष हो चुका हो।
- **Discount on Issue of Share A/c** को चिट्ठे में **Reserve and Surplus** में ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाएगा।
- **(Calls in Advance)** न मांगी गई राशि अग्रिम प्राप्त होने पर इसे अग्रदत मांग कहा जाएगा।
- **सारणी A** का पालन करने पर इस राशि पर @12% ब्याज देना होगा।

### अधि-अभिदान (Over-subscription)

- खाति प्राप्त कम्पनियाँ जब अभिदान हेतु जनता को अंश प्रस्तावित करती हैं, तो प्रस्तावित अंको की संख्या से अधिक अंशों को खरीदने के लिए आवेदन आते हैं। यह स्थिति अधि-अभिदान कहलाती है।
- अधि-अभिदान की स्थिति में कम्पनियाँ SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंशों का अनुपातिक रूप से बंटन करती हैं।
- अधि-अभिदान में प्राप्त अतिरिक्त राशि को बंटन के साथ समायोजित कर सकते हैं। इससे अधिक राशि को वापस लौटा दिया जाता है।

### अंशों का हरण (Forfeiture of Share)

- जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित बंटन अथवा मांग राशि का पूर्णतः या आंशिक भुगतान नहीं करता, तो कम्पनी द्वारा संबंधित अंशधारी को नोटिस देने के बाद उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर देती है। तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर देती है इसे ही अंशों का द्वरण कहा जाता है।
- अंश हरण की प्रक्रिया अंत नियमों में दी हुई होनी चाहिए।
- भुगतान के अलावा अन्य किसी भी कारण से अंशों का हरण नहीं किया जा सकता।

### अंश हरण की लेखा प्रविष्टियाँ

- **सम-मूल्यों पर निर्गमित अंशों का द्वरण**

Share Capital A/c Dr. [कुल मांगी गई राशि]

To Share Allotment A/c

To Share First Call A/c [द्वरण की तिथि को कुल बकाया राशि]

To Share Second Call A/c

To Share Forfeiture A/c [अब तक की गई राशि]

- जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है:

Share Capital A/c Dr. [द्वरण अंशों पर पूंजी पैसे मांगी गई राशि]

Securities Premium A/c Dr. [प्रीमियम के रूप में मांगी गई राशि]

To Share Allotment A/c [प्रीमियम सहित कुल बकाया राशि]

To Share First Call A/c

To Forfeiture A/c [अब तक प्राप्त कुल राशि]

- जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हों, तथा द्वरण की तिथि तक प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो:
 

Share Capital A/c Dr.	[प्रीमियम को छोड़कर मांगी गई कुल राशि]
To Share Allotment A/c	
To Share First Call A/c	[प्रीमियम को छोड़कर बकाया राशि]
To Share Second Call A/c	
To Share Forfeiture A/c	[कुल प्राप्त राशि]
- अंश द्वरण खाते का शेष चिट्ठे में प्राप्त पूँजी में से जोड़कर दिखाया जायेगा
- अगर एक बार Security Premium की राशि प्राप्त हो गई तथा इसे क्रेडिट कर दिया गया है, तो द्वरण संबंध में वापस डेबिट नहीं करेंगे।
- अधि-अभिदान की स्थिति में प्रीमियम पर जारी किये गये अंशों के संबंध में आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को पहले आबंटन खाते में स्थानांतरित किया जाये था।
- प्रीमियम खाते में इस हेतु नियम है
- प्रथम – अगर आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि की पूर्ति करती है तो पहले प्रीमियम की भरपाई करनी चाहिए।
- द्वितीय – अगर अतिरिक्त राशि प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि की भरपाई नहीं करती तो फिर आबंटन खाते में जमा करनी चाहिए।

### अंशों का समर्पण

- यदि कोई सदस्य अपने अंशों को स्वेच्छा से बिना किसी शर्त एवं प्रतिफल के कम्पनी को वापस कर देता है, तो इसे अंशों का समर्पण कहा जाता है।
- अशांत-प्रदत्त अंशों का द्वि समर्पण किया जा सकता है, पूर्ण-प्रदत्त अंशों का नहीं।
- प्रतिफल के बदले अंशों का समर्पण नहीं किया जा सकता है।
- समर्पित अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है।

### द्वरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन

- द्वरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति होते हैं, जिनका पुनः निर्गमन किया जा सकता है पुनः निर्गमन सम-मूल्य पर प्रीमियम पर व बढ़ते पर किया जा सकता है।
- धारा 79 के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ अधिकतम बट्टा उन अंशों पर जब्त राशि के बराबर दिया जा सकता है।
- पहले सम-मूल्य या प्रीमियम पर जारी किये गये अंशों को द्वरण के बाद पुनः निर्गमन पर प्रविष्टियाँ –

#### 1. सम-मूल्य पर पुनः निर्गमन:

Bank A/c Dr. [प्राप्त की गई राशि]  
 To Share Capital A/c [अंशों पर प्राप्त राशि]  
 Forfeiture Share re-issue

#### 2. प्रीमियम पर पुनः निर्गमन:

Bank A/c Dr.  
 To Share Capital A/c  
 To Securities Premium A/c  
 [Re-issue of shares at premium]

### 3. बट्टे पर पुनः निर्गमन:

Bank A/c Dr. [प्राप्त राशि]

Share Forfeiture A/c Dr. [बट्टे की राशि — अधिकतम बट्टा Forfeiture खाते तक]

To Share Capital A/c [अंशों पर प्रदत्त सम्पूर्ण राशि]

अंशों के पुनः निर्गमन से हुए लाभ को पूँजी संचय खाते में स्थानांतरित किया जाता है:

Share Forfeiture A/c Dr.

To Capital Reserve A/c

[Profit on re-issued of equity share transferred to C.R A/c]

### 4. पहले बट्टे पर जारी अंशों का पुनः निर्गमन बट्टे पर करना:

Bank A/c Dr. [प्राप्त राशि]

Discount on Re-issue of Share A/c Dr. [पूर्व में दिये बट्टे तक की राशि]

Share Forfeiture A/c Dr. [पूर्व में दिए गए बट्टे से ज्यादा राशि का बट्टा होने पर आधिन्म बट्टा की राशि]

To Share Capital A/c

### 5. स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद (Buy-back of Own Shares)

✓ धारा – TI(A)

✓ एक कंपनी अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निम्नलिखित सायनो से वापस क्रम किया जा सकता है –

- अपने स्वतंत्र कोष से
- प्रतिभूति प्रीमियम से
- अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से अभिगम

✓ **Note:** वापसी क्रम प्रदत्त पूँजी व मुक्त संचय के 25% से ज्यादा नहीं हो सकती

### 6. प्रीमियम पर वापसी खरीद:

Equity Share Capital A/c Dr.

Premium on Buy-back of Share A/c Dr.

To Bank A/c

[Buy-back of own share at premium]

### 7. बट्टे पर वापसी खरीद:

Equity Share Capital A/c Dr.

To Bank A/c

To Capital Reserve A/c

[Own share buy-back on discount]

✓ यहाँ पर दिया गया प्रीमियम कम्पनी को पूँजीगत हानि है, जिसको [Securities Premium] खाते से पूरा किया जाता है।

Securities Premium A/c Dr.

To Premium on buy-back of share A/c

[Premium on buy-back of share a/c written off]

## अंश निर्गमन की नवीन पद्धतियाँ

- **I.P. (Initial Public Offer):** कोई विद्यमान कम्पनी के अलावा नई कम्पनी जो भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाने से तुरन्त पूर्व जनसाधारण निवेशकों को अंश प्रस्तावित करती है, तो ऐसे सार्वजनिक निर्गमन को I.P. कहा जाता है।
- **अनुगामी सार्वजनिक निर्गमन (F.P. – Follow-on Public Offer):** यदि किसी कम्पनी की प्रतिभूतियाँ पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हैं, तथा अपनी आवश्यकताओं हेतु अतिरिक्त अंश जारी करती है, तो इसे F.P. कहा जाता है।
- **पूर्वाधिकार आबंटन (Preferential Allotment):** पूर्वाधिकार आबंटन से आशय ऐसे आबंटन से है, जैसे अंतर्गत सामान्य अंशों का आवंटन पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को, पूर्व निर्धारित संख्या में वह पूर्व निर्धारित मूल्य पर किया जाता है; जैसे – प्रवर्तक, प्रबंधक, पूँजी कर्ता आदि।
- **SEBI** के अनुसार इन अंशों का उवर्तमान विक्रिय नहीं किया जा सकता है।
- **कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना -** कर्मचारी स्टॉक विकल्प से अभिप्राय कम्पनी द्वारा अपने पूर्वकालिक संचालकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ऐसा विकल्प प्रदान करना है जिससे वे भावी तिथि को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर, पूर्व-निर्धारित शर्तों का पालन कर, प्रतिभूतियों का अधिकार प्राप्त कर सकें।
- **डी-मेट ऑफ शेयर (Demat of Share)** - शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रखना ही डी-मैट ऑफ शेयर कहलाता है।
- **SEBI** ने 1996 में निक्षेपी अधिनियम की स्थापना की। भारत में वर्तमान में दो डिपॉजिटरी कार्यरत हैं:
  1. **NSDL (National Securities Depository Limited):**
  2. इसे UTI, National Stock Exchange व EXIM बैंक ने संयुक्त रूप से परिवर्तित किया।
  3. **CDSIL सेन्ट्रल डोर्पोजिटरी सर्विसेज इडिया लिमि. SBI, HDFC मुम्बई Stock Exc.** ने प्रवर्तित किया।

## क्रणपत्रों का निर्गमन

- क्रणपत्र कम्पनी की सार्वयुद्धा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा लिए गए क्रण की स्वीकृति का एक प्रमाण-पत्र है। इस पर निर्गमन से लेकर शोधन तक की सभी शर्तों का उल्लेख रहता है। यह कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न कर भी सकता है अथवा नहीं भी।
- कम्पनी अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार, क्रणपत्र से आशय क्रणपत्र, बांड या किसी अन्य प्रतिभूतियों से है, जो कम्पनी की शर्तों पर प्रभार उत्पन्न कर भी सकती हैं व नहीं भी।
- सभी क्रणपत्रों पर कम्पनी की सार्वयुद्धा अंकित नहीं की जाती। जिन पर प्रभार होता है, उन पर ही जाती है।

## अधिमान अंशों का शोधन एवं प्रतिभूतियों की वापसी खरीद

- अधिमान अंशों का शोधन क्या होता है?
- अधिमान अंशों का शोधन तथा निर्गमन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 के अनुसार ही होगा।
- धारा - 55 के प्रावधान
- कोई भी कम्पनी इस अधिनियम के लागू होने पर अशोष्य अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती।
- अधिकतम 20 वर्षों में शोधनीय अधिमान अंश जारी कर सकती है। केवल सीमित दायित्व वाली कम्पनी।
- कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार:- आधारभूत परियोजना में लगी कम्पनी 30 वर्षों तक शोधनीय अधिमान अंश जारी कर सकती है, परन्तु 21 वें वर्ष से प्रत्येक वर्ष 10% शेयरों का शोधन करना होगा।
- केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही द्विशोधन किया जा सकता है, अंशतः प्रदत्त का नहीं — धारा 52(2)(b).
- अधिमान अंशों का शोधन या तो उन लाभों से किया जा सकता है, जो लाभांश हेतु उपलब्ध हों, अथवा उस राशि से किया जा सकता है, जो शोधन के उद्देश्य से ही नये अंश निर्गमित करके प्राप्त की गई हो — धारा 52(2)।

- अंश प्रदत्त अंशों से राशि माँगना तथा उन्हें पूर्ण प्रदत्त बनाने की प्रविधि:
- Preference Share Final Call A/c Dr.  
To Preference Share Capital A/c  
[Redeemable Preference Share Final Call D.r.]  
Bank A/c Dr.  
To Preference Share Final Call A/c  
[Final call money received]
- यदि कंपनी ने सभी अंशधारियों से राशि माँगने के बाद भी कुछ अंशधारियों ने नहीं चुकाई है, तो इनके कारण शोधन की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। कंपनी शेष अंशों का शोधन की प्रक्रिया जारी रखेगी।
- यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन ऐसे लाभों से करती है, जो लाभांश के लिए उपलब्ध हैं, तो ऐसे लाभों में से जिन अंशों का शोधन होना उनके अंकित मूल्य के बराबर की राशि पूँजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- ऐसा करने पर इसे पूँजी में कमी नहीं माना जाएगा — धारा 52(2)(c)
- **निम्नलिखित लाभ संचय लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध हैं:**
- ✓ Profit and Loss A/c (Surplus) (Credit balance)
  - ✓ General Reserve
  - ✓ Reserve Fund
  - ✓ Insurance Fund
  - ✓ Dividend Equalisation Fund
  - ✓ Workmen Compensation Fund
  - ✓ Investment Allowance Reserve
  - ✓ Development Rebate Reserve Account
  - ✓ Foreign Project Reserve Account
  - ✓ Export Profit Reserve A/c
  - ✓ Hotel Project Reserve A/c
  - ✓ Housing Project Reserve A/c
  - ✓ इनको वैधानिक संचय कहा जाता है।



### **Entry:**

- Reserve A/c Dr.
- To Capital Redemption Reserve A/c  
(Being amount of preference share redemption transferred to C.R. A/c)
- यदि कंपनी अंशों का शोधन उस राशि से करती है जो शोधन के उद्देश्य से जारी नये अंशों से प्राप्त हुई है, तो नये अंशों के निर्गमन राशि का निर्धारण शोधनीय अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होगा।
- यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, तो प्रीमियम कम्पनी के लिए पूँजीगत हानि है। इसका आयोजन कम्पनी को अपने पूँजीगत तथा आयगत लाभों में से करना होगा। — धारा 52(2)(d)

- शोधन पर देय प्रीमियम का आयोजन सर्वप्रथम पूँजीगत लाभों से किया जायेगा, उसके बाद आयगत लाभों से।
- Securities Premium A/c Dr.
- General Reserve A/c Dr.
- Statement of P.S.C Dr.
- To Premium on Redemption of Preference Share A/c  
(Premium on Redemption of preference shares written off)

### अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन

अधिमान अंशों का शोधन निम्न विधियों से किया जा सकता है:

1. लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन
2. नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में शोधन
3. उपरोक्त दोनों का संयुक्त मिश्रण
4. अंश परिवर्तन द्वारा शोधन

### लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से शोधन:

शोधन के निर्णय पर —

- Preference Share Cap. A/c Dr.  
Premium on Redemption of Preference Share A/c Dr.  
To Preference Share A/c  
(Being amount due to preference share redemption)
- Securities Premium A/c Dr.  
General Reserve A/c Dr.  
Other Revenue Profit A/c Dr.  
To Premium on Redemption of Preference Share A/c  
(Being premium on redemption of preference shares written off)
- General Reserve A/c Dr.  
Other Reserve A/c Dr. (Revenue)  
To Capital Redemption Reserve A/c  
(Being amount equal to face value of preference shares transferred to C.R.)
- Preference Shareholders A/c Dr.  
To Bank A/c  
(Being payment made to preference shareholders on redemption)

### नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से शोधन :-

- इस हेतु C.R.R. में हस्तानांतरण के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियाँ होंगी।
- पहले नए अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ होंगी —

- Bank A/c Dr.
  - To Share Application and Allotment A/c  
(Share application and allotment money received)
- Share App. & Allot. A/c Dr.
  - To Share Cap. A/c  
(Share App. and Allot money transferred to Share Capital)

### शोधन की प्रविष्टि :-

- Redeemable Preference Share Cap. A/c Dr.
  - To Bank A/c  
(Being payout made of Preference Share Redemption)

### लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों एवं नए निर्गमन से प्राप्त राशि से शोधन :-

- यह विधि प्रथम दोनों विधियों का संयुक्त रूप है, इसमें वही प्रविष्टियाँ होंगी।
- बकाया माँग: यदि शोधनीय अधिमान अंशों पर बकाया माँग राशि है, तो ऐसे अंशों का शोधन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसका भुगतान अंशधारी नहीं कर देता।
- लेकिन शोधन पर राशि CRR में स्थानांतरित करते समय या नए अंशों का निर्गमन करते समय इन बकाया माँग वाले अंशों की राशि का भी प्रावधान कर लेंगे।
- शोधन पर नकद राशि प्राप्त करने के लिए यदि किसी संपत्ति को बेचा जाता है या ऋणपत्रों का निर्गमन किया जाता है, तो इनका लेखा सामान्य रूप से ही होगा।
- "जिन अंशों पर माँग की राशि बकाया है, उन्हें चिट्ठे के दायित्व पक्ष में सर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाएगा।"
- अंश-परिवर्तन द्वारा शोधन: यदि अंतर्नियमों में अनुमति है, तो कम्पनी अधिमान अंशों का शोधन नए समता अंश जारी करके अथवा नये अधिमान अंश जारी करके कर सकती है।
- **प्रविष्टि:**

Preference share cap a/c Dr  
Premium on Red. of per. sh. a/c Dr

To Preference shareholder  
(Being amount of redemption of preference share due)

Preference share holder a/c Dr

To Equity share a/c  
To Pre. sh. (new) cap a/c  
(Being preference share converted to equity share and new preference)

- नए अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाना है, तो **Securities premium a/c** को **Credit** किया जायेगा।

### **प्रतिभूतियों की वापसी खरीदः**

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-68 कम्पनियों को अपने अंश तना अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को वापसी क्रम का अधिकार प्रदान करती है। इसके निम्न प्रावधान हैं –

- निम्न साधनों से प्रतिभूतियों को वापस खरीदा जा सकता है:
  - (i) अपने स्वतंत्र कोष से
  - (ii) प्रतिभूति प्रीमियम खाते से
  - (iii) अंशों अलावा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से।
- इसके लिए कम्पनी के अंतर्नियम अनुमति प्रदान करें तथा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है।
- वापसी खरीद का लेखांकन :- केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों को ही वापस खरीदा जा सकता है, अंश प्रदत्त अंशों को नहीं।
- यदि वापसी खरीद हेतु नए अंशों का निर्गमन करती है, तो निर्गमन की प्रविष्टि होगी।
- यदि वापसी खरीद मुक्त संचयों से की जाती है, तो ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर की राशि **Capital Redemption Reserve** में स्थानांतरित की जायेगी।

Securities premium a/c Dr


G.R. a/c Dr

Surplus a/c Dr

To Capital Red. Reserve a/c

(Being amount debited in CRR as buy-back of share)

- क्रम करने पर



Equity share cap. a/c Dr

Premium on buy-back of share a/c Dr

To Bank

To Capital Reserve a/c

(being own equity share buy-back on premium)

- प्रीमियम को W/F करने पर

Securities premium a/c Dr

Free Reserve a/c Dr

To premium on buy-back of share

(Being premium on buy-back of share w/f)

## अंशों व कुलपत्रों का अभिगोपन

- किसी भी कम्पनी को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उन्हें अंश तथा ऋणपत्रों को जनता में जारी करना पड़ता है।
- इन प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए यह आवश्यक होता है कि इनके लिए जनता से न्यूनतम अभिदान अवश्य प्राप्त हो। अगर यह न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं होगी तो कम्पनी इन प्रतिभूतियों को निर्गमित नहीं कर सकती। इस दशा में कम्पनी को भारी जोखिम की संभावना रहती है। कम्पनी इस जोखिम को समाप्त करने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि "कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह इस बात की गारंटी ले कि जनता से अगर न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं प्राप्त होगी तो शेष अंशों के लिए आवेदन स्वयं करेगा।"
- इस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को अभिगोपक अथवा अनुबंध को अभिगोपन कहा जाता है।
- **अभिगोपक का अर्थ :-** अभिगोपक वे होते हैं जो अंशों के अभिदान के संबंध में गारंटी प्रदान करते हैं।

- यह व्यक्ति या व्यक्तियों के समुद्र या कम्पनी हो सकते हैं।
- **अभिगोपन का अर्थ:-** कम्पनी के द्वारा अंशों के अभिदान के संबंध में जो अनुबंध किया जाता है, अभिगोपन कहलाता है, जिसमें निश्चित कमीशन के बदले अभिदान की गारंटी दी जाती है।
- **अभिगोपन के प्रकार -** अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर
  1. मुख्य अभिगोपन अनुबंध
  2. उप-अभिगोपन अनुबंध

### **अभिगोपन समझौते के आधार पर**

1. **शुद्ध अभिगोपन:-** इस समझौते के अंतर्गत अभिगोपक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब जनता द्वारा संपूर्ण अंशों के ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्राप्त ना हों। जैसे :- A कम्पनी ने 2,00,000 अंशों को निर्गमित किया जनता से 1,80,000 आवेदन आए, तो शेष 20,000 का दायित्व अभिगोपक का होगा।
2. **सुदृढ़ अभिगोपन (Firm Underwriting)-** ख्याति प्राप्त कंपनियों की दशा में अभिगोपक यह चाहते हैं कि कम्पनी उन्हें एक निश्चित मात्रा में अंश अवश्य जारी करे। अभिगोपक इसके लिए सामान्य आवेदकों की तरह आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस दशा में अधि-अभिदान की स्थिति में अंश प्राप्ति की प्रति - अनिश्चितता हो जाती है। इस प्रकार का अभिगोपन 'सुदृढ़ /फर्म अभिगोपन' कहलाता है।

### **पूर्ण या आंशिक अभिगोपन :-**

- **पूर्ण अभिगोपन –** कम्पनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध करना पूर्ण अभिगोपन कहलाता है।
- **आंशिक अभिगोपन –** इसमें अभिगोपक कम्पनी के संपूर्ण अंशों के लिए अभिगोपन न करके, उसके किसी एक भाग के लिए ही अभिगोपन करता है।  
जैसे - एक कम्पनी ने 1 लाख अंश जारी किए तथा अभिगोपक ने 80,000 अंशों का अभिगोपन किया। (यानी 80% का)  
अब अगर जनता से 90,000 आवेदन आए तो अभिगोपक का दायित्व निम्न होगा –  
 $\checkmark 90,000 \times 80\% = 72,000$   
 $\checkmark 80,000 - 72,000 = 8,000$  लेने होंगे।
- **एक या अधिक अभिगोपकों के आधार :-** इसमें सभी अभिगोपकों द्वारा अपने प्रयास से किये गये आवेदनों पर अपनी शील लगा देता है। इसके बाद कमीशन की प्रक्रिया आगे दी गई है।
- **कमीशन भुगतान के आधार पर :-** अभिगोपकों को कमीशन नकद अथवा प्रतिभूतियों के रूप में प्रदान किया जा सकता है, अथवा आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से प्रतिभूतियों के रूप में दिया जा सकता है।
- **कमीशन सम्पूर्ण अभिगोपित राशि पर मिलेगा :-** जैसे - जैसे एक कंपनी ने 1 लाख अंशों का अभिगोपन करवाया, जनता से आवेदन 60 हजार आए, शेष 40 हजार अभिगोपकों ने खरीदे। तो अभिगोपकों को कमीशन 1 लाख अंशों पर मिलेगा। जो अंश जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए, उन पर अभिगोपन कमीशन नहीं प्राप्त होता।
- **कमीशन की अधिकतम दर :-** कम्पनी अधि. 2013 की धारा 40(b) के अनुसार –  
 $\checkmark$  Share issued value @ 5%  
 $\checkmark$  Debenture issued value @ 2.5%
- **कमीशन की दर अन्तर्नियमों में दी हुई होनी चाहिए,** परन्तु इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- **कमीशन देने का अधिकार अन्तर्नियमों में होना चाहिए,** तथा अगर नहीं है, तो कम्पनी सारणी F Table [Table – F] को अपना सकती है।

- अभिगोपन की सम्पूर्ण जानकारी प्रविवरण में प्रदान करनी चाहिए।
- **लेखा व्यवहार [Accounting treatment]** अभिगोपन कमीशन एक पूँजीगत हानि है, अतः इसे पूँजीगत लाभ से अपलिखित किया जा सकता है। यह एक प्रकार का **preliminary expense** है।
- इस Deferred Revenue expense के रूप में Balance Sheet में Non-current Assets के रूप में दिखाया जाता है।
- इसे लाभ-हानि खाते से धीरे-धीरे अपलिखित किया जा सकता है।
- **अभिगोपकों का दायित्व निर्धारण :-** यदि जनता द्वारा अंशों के लिए पूर्ण अभिदान प्राप्त नहीं हुआ हो, तो शेष अंशों को लेने का दायित्व अभिगोपक का होगा। इसे द्वि-अभिगोपक का दायित्व कहा जाता है। इनकी संख्या अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार तय होती है।
- **केवल एक अभिगोपक होने की दशा में :-** इस दशा में अगर पूर्व अभिगोपन किया गया है, तो जनता के द्वारा आवेदन प्राप्त सभी अंशों को क्रम करना होगा।
- **एक से अधिक अभिगोपक होने पर :-** इस दशा में प्रत्येक अभिगोपक अपने आवेदन-पत्र पर अपनी मोहर लगा देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि किस अभिगोपक द्वारा कितने आवेदन किए गए। इसे चिह्नित आवेदन कहते हैं।
- **जिन आवेदनों पर कोई मोहर न लगी हो, उन्हें अचिह्नित आवेदन कहते हैं।**
- इस संबंध में दायित्व निर्धारण की प्रक्रिया निम्न है।
  - ✓ **सकल दायित्व:-** सर्वप्रथम एक तालिका में अभिगोपकों के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर उनका दायित्व निर्धारण कर अलग-अलग संभं में लिखा जाएगा
  - ✓ **चिह्नित अंशों को घटाना:** सकल दायित्व में से प्रत्येक अभिगोपक के द्वारा दिए गए चिह्नित आवेदनों को घटा देंगे, इस प्रकार उनका शेष दायित्व बचेगा।
  - ✓ **अचिह्नित अंशों को घटाना:-** यदि अनुबंध में दिया गया हो कि अचिह्नित आवेदनों को सबको समान अनुपात में या किसी विशिष्ट अनुपात में लाभ दिया जाएगा, तो उसी अनुपात में दिया जाएगा। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया हो, तो अचिह्नित अंशों को उनके सकल दायित्व के अनुपात में घटाया जाएगा।
  - ✓ **फर्म द्वारा अभिगोपित अंशों को चिह्नित या अचिह्नित मानना:-** इस संबंध में दो स्थितियाँ हैं:
    - यदि यह प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा जाये कि अंशों को चिह्नित या अचिह्नित मानना है, तो प्रश्न को उस प्रकार से हल किया जाएगा — [उपर बिंदु नं. (iii) में वर्णित विधि के अनु.]
    - यदि प्रश्न में स्पष्ट नहीं दिया गया है, तो फर्म द्वारा अभिगोपन अंशों को चिह्नित अंश मानते हुए अभिगोपकों का दायित्व स्पष्ट किया जाएगा।
  - ✓ अगर किसी अभिगोपक का दायित्व उनके द्वारा चिह्नित अंशों पर ही पूरा हो जाता है, तथा अचिह्नित अंशों पर उनका हिस्सा आने पर ऋणात्मक शेष हो अभिगोपकों में सकल दायित्व के अनुपात में घटा देते हैं।
  - ✓ **फर्म अभिगोपित अंशों को जोड़ना:** यदि फर्म अभिगोपन के अंश, अभिगोपित अंशों के अतिरिक्त लेने का अनुबंध हो, तो अंत में फर्म-अभिगोपन वाले अंशों को जोड़ दिया जाएगा तथा इसके बाद ही शुद्ध दायित्व ज्ञात किया जाएगा।

Q 1. मोहन लिमिटेड के 50,000 अंशों को क्रमशः X:Y तथा Z में निम्न प्रकार अभिगोपन था,

$$\checkmark \quad X = 30,000 \quad \checkmark \quad Y = 12,500 \quad \checkmark \quad Z = 7,500$$

### Jism Underwriting

$$\checkmark \quad X = 4,000 \quad \checkmark \quad Y = 1,600 \quad \checkmark \quad Z = 5000$$

कंपनी द्वारा निर्गमित 50,000 अंशों हेतु फर्म अभिगोपन सहित कुल 35,500 अंशों हेतु आवेदन आये जिनमें X = 5,000 Y के 10000 तथा Z के 2500 अंश Marked थे

- अभिगोपकों का दायित्व निर्धारण करो, यदि—
  1. फर्म अभिगोपकों को चिह्नित न माना जाए।
  2. फर्म अभिगोपकों को चिह्नित माना जाए।
  3. फर्म अभिगोपित अंशों को चिह्नित अंशों में न रखा जाए।
- Total Liability of underwriting if firm underwriting are excluded in Marked shares.

<b>Particulars</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Total</b>
Share of firm underwriting gross liability	40000	15000	5000	105000
[12:15:3]	30000	12500	7500	50000
Less: Market Share	5000	10000	2500	
	25000	2500	5000	
Less: Unmarketed Share	10800	4500	2700	
[12:5:3] ratio				
Balance liabilities	14200	-2000	2300	
Less: Surplus of Y Dist. to X and Z on 12:3	-1600	2000	-400	
Net liability	12600	Nil	1900	
Add: Share of firm underwriting	4000	1500	5000	
	16600	1500	6900	

### अभिगोपन कमीशन संबंधी लेखांकन

- इससे संबंधित लेखांकन को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है:
  1. कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन
  2. अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन
- कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन: अभिगोपकों को दिया गया कमीशन कंपनी के लिए व्यय है जिसे कंपनी अपनी पुस्तकों में डेबिट करेगी। "अभिगोपकों को कमीशन अब अंशों पर प्राप्त होगा जो अनुबंध में शामिल किए गए हैं।"
- अभिगोपन कमीशन देय होने पर:

Under-writing Commission A/c Dr.

To Underwriter a/c

(Underwriters Commission due to under-writers)

- अभिगोपकों को शेष अंश निर्गमित करने पर:

Under-writers A/c Dr.

To Equity Share Capital A/c

(Shares allotted to under-writers under under-writing agreements)

- अभिगोपकों से अंश क्रम की राशि प्राप्त होने पर:

Bank A/c Dr.

To Under-writers A/c

(Final payment received from underwriters)

- अभिगोपकों को शेष राशि भुगतान करने पर (कमीशन की):

Under-writers A/c Dr.

To Bank A/c

(Under-writers final payment done)

- अभिगोपन कमीशन खाते को अपलिखित करने पर:

Reserve A/c Dr.

Securities Premium A/c Dr

- Psc. A/c Dr.

To Under-writing Commission A/c

(Under-writing commission written off)

- अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन

- ✓ अभिगोपक के लिए कमीशन एक आय है, अतः वे कमीशन खाते को क्रेडिट करेंगे।
- ✓ अगर जनता से अभिदान प्राप्त नहीं हुआ तो अभिगोपकों को ऋणपत्र तथा अंश खरीदने होंगे।
- ✓ इस दशा में अभिगोपक कमीशन की आय को तब तक आय नहीं मानते जब तक इन प्राप्त अंशों या ऋणपत्रों को कम से कम मूल्य पर विक्रय नहीं कर देते।
- ✓ यदि निर्गमित अंशों का बाजार मूल्य उनके निर्गमित मूल्य से कम होता है, तो इस स्थिति में प्राप्त कमीशन से हानि की पूर्ति करते हैं।
- ✓ तथा शेष कमीशन की राशि को PSC A/c में ट्रांसफर करते हैं।

- अभिगोपन कमीशन देय होने पर:

X<sup>5</sup> Company A/c Dr.

To Under-writing Commission A/c

(Under-writing commission due from X<sup>5</sup> Company)

- प्राप्त होने पर:

Bank A/c Dr.

To X<sup>5</sup> Company A/c

- कम्पनी से अंश / ऋणपत्र प्राप्त होने पर

**Share/Debenture (Investment) A/c Dr.**

To X Company A/c

(Balanced shares received from X Company Ltd.)

- कमीशन खाते को अंश खाते में स्थानांतरित करने पर [हानि की राशि से]:

**Underwriting Commission A/c Dr.**

To Share/Debenture (Investment) A/c

(Commission transferred to Share/Debenture A/c)

- कम्पनी के शेष अंशों पर राशि का भुगतान करने पर:

**X Company A/c Dr.**

To Bank A/c

Final payment made to company)

- शेष अंश कमीशन खाते को बंद करने पर:  
Underwriting Commission A/c Dr.  
To P&C A/c  
Balance underwriting commission transferred to P&C A/c)
- अभिगोपको द्वारा प्राप्त अंशों को वर्ष के अंत में विक्रय नहीं किया जा सकता, तो अभिगोपक इन्हें अपने चिट्ठे में सम्पत्ति के रूप में प्राप्त मूल्य पर या बाजार मूल्य में दोनों क्रम हो उस मूल्य पर दर्शाया जाता है।

### व्यापार का अधिग्रहण एवं समामेलन पूर्व के लाभ

- जब कोई नई स्थापित कम्पनी चालू व्यवसाय को क्रम कर लेती है अथवा कोई एकल व्यवसाय, साझेदारी फर्म, कम्पनी के रूप में बदल जाती है, तो ऐसे परिवर्तनों को भी कम्पनी द्वारा व्यापार क्रय करना माना जाता है।
- व्यापार का क्रेता, व्यापार विक्रेता को उक्त व्यवहार के लिए जो राशि भुगतान करती है, वह क्रय प्रतिफल कहलाता है।
- व्यापार क्रय पर क्रेता-विक्रेता की समस्थ सम्पत्तियाँ तथा दायित्व ले सकता है, अथवा विशिष्ट सम्पत्तियाँ व विशिष्ट दायित्व ले सकता है। इसके संबंध में निम्न मान्यताएं हैं:
  - ✓ यदि केवल इतना कहा जाए कि व्यापार को क्रय किया गया है तो इसका अर्थ होगा समस्त सम्पत्तियों व दायित्वों का क्रय।
  - ✓ **Total Assets** में निम्न को छोड़कर सब शामिल हैं:

#### **Less: Non-Current Assets**

Negative balance of Psc A/c Dr

Deferred Revenue Exp.

Discount on issue of share and a/c

Preliminary Exp.

- ✓ निम्न को छोड़कर समस्त दायित्वों को शामिल किया जायेगा

#### **Capital**

#### **Reserve and Surplus**

- कुछ सम्पत्ति तथा दायित्वों को विक्रेता के खातों में नहीं होने पर भी शामिल किया जाता है,

### क्रय प्रतिफल का निर्धारण

1. शुद्ध भुगतान विधि
2. शुद्ध सम्पत्ति विधि
- **शुद्ध भुगतान विधि** :-व्यापार क्रेता व विक्रेता के मध्य हुए समझौते के द्वारा जो भी राशि निर्धारित की जाती है, वह शुद्ध भुगतान विधि द्वारा क्रय-प्रतिफल कहलाती है।
- **शुद्ध सम्पत्ति विधि** :-

#### **Net Assets Method - Total Assets - Total Liabilities**

(Revaluation value) (Revaluation value)

(Book value) (Book value)

- **ख्याति का मूल्यांकन** - यदि व्यापार क्रय करते समय विक्रेता की ख्याति का भी भुगतान किया गया है, तो इसे सम्पत्तियों में शामिल करके क्रय प्रतिफल ज्ञात किया जाएगा।

- यदि ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो तो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात होगा।

Goodwill = Purchase Consideration – Net Assets

Capital Reserve = Net Assets – Purchase Consideration